

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 991]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2016/वैशाख 7, 1938

No. 991]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2016/VAISAKHA 7, 1938

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2016

का. आ. 1545(अ) .— केन्द्रीय सरकार, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उपधारा (i) के अधीन जारी भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) के अंतर्गत 3 फरवरी 2016 को प्रकाशित, भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 340(अ) तारीख 1 फरवरी 2016 की इस अधिसूचना के हिन्दी पाठ में केन्द्र सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है—

3 फरवरी 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का० आ० 340(अ) तारीख 1 फरवरी 2016 में—

1. पृष्ठ सं० 2 में ग्राम पुथैनकुरिस्सू (खंड सं 39) एवं ग्राम तिरुवानियूर (खंड सं. 40) के अंतर्गत प्रकाशित सभी सर्वे नं० तालुक कुनाथुनाडु जिला एरनाकुलम केरल राज्य के अंतर्गत पढ़े व समझे जाएं
2. पृष्ठ सं० 2 में ग्राम तिरुवानकुलम (खंड सं. 10), पृष्ठ सं० 3 में ग्राम कुरीक्काड (खंड सं. 11), पृष्ठ सं० 4 में ग्राम कणयन्नूर (खंड सं. 12) एवं पृष्ठ सं० 5 में ग्राम मणकुन्नम (खंड सं. 19) के अंतर्गत प्रकाशित सभी सर्वे नं० तालुक कणयन्नूर जिला एरनाकुलम केरल राज्य के अंतर्गत पढ़े व समझे जाएं
3. अधिसूचना की तारीख 1 फरवरी 2015 के स्थान पर 1 फरवरी 2016 पढ़ा जाए

[फा. सं. आर-31015/4/15-ओ आर-II]

विनय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2016

S.O. 1545(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (Central Act 50 of 1962) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 340 (E) dated 1st February 2016 published in pages 1 to 12 in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, dated 3rd February 2016, namely:-

In the notification S.O. No. 340(E) dated 1st February 2016 published in the Gazette on 3rd February 2016:-

1. At page no. 8 all survey no. published under village Puthenkurissu (block no. 39) and village Thiruvaniyoor (block no. 40) shall be considered and read under Taluk Kunnathunad District Ernakulam in Kerala.
2. All survey numbers published under village Thiruvankulam(block no. 10) from page no. 8, village Kureekad (block no. 11) from page no. 9, village Kanayannur(block no. 12) from page no. 10, village Manakunnam (block no. 19) from page no. 11 shall be considered and read under Taluk Kanayannur District Ernakulam in Kerala.
3. The date of notification mentioned in the Hindi version shall be considered and read 01-02-2016 in place of 01-02-2015.

[F. No . R-31015 /4/15-OR-II]

VINAY KUMAR, Under Secy.